'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.09.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज ;राम राजद्ध चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 20 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 सितंबर, 2016

दलितों की लड़ाई एक विशेष पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज का है : डॉ. उदित राज

कुरुक्षेत्र में 10 सितंबर को दलित चिंतन संगोष्ठी संपन्न

कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 में स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वावधान में दलित चिंतन विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने शिरकत किया। संगोष्ठी में समाज के लोगों ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार, पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा, प्रदेश भर में बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित किए जाने पर विचार–विमर्श किया गया।

डॉ. उदित राज ने कहा कि हमें अपने हक प्राप्त करने के लिए राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर आगे आना होगा। तभी हम जागृत होकर अपनी लड़ाई संगठित होकर लड़ सकेंगे। दलितों की लड़ाई एक विशेष पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि ये पूरे दलित समुदाय का है। संगठित होकर ही हम सरकार से अपने हक को प्राप्त कर सकेंगे अन्यथा यूं ही हम बिखर कर अपनी आवाज को उठा नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को दिल्ली में ताकत दिखाने के लिए पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की एक रैली आयोजित की जाएगी ताकि हम इस रैली के माध्यम से सरकार को अपनी ताकत दिखाकर अपने हक को हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनकी दलितों को बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं भले ही राजनीतिक पार्टी में हूं लेकिन मेरा समर्थन सदैव दलितों के साथ है।

हमें सभी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आना होगा तभी हम सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रखकर मनवा सकते हैं। इससे पूर्व कई वक्ताओं ने पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग को पूरा करने, निजी क्षेत्र में आरक्षण, दलितों पर बढ़ रहे हमले और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित किए जाने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इससे पूरे देश के दलितों के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। सरकार विपक्ष में बैठे समाज के राजनीतिक लोग इन मुद्दों को नहीं उठा पाते जिसके कारण अनुसूचित जाति के लोगों के हक को नुकसान पहुंच रहा है। डॉ. जीत सिंह शेर, परिसंघ के जिलाध्यक्ष रामपाल पाली, ओमप्रकाश सिरोहा, प्रो. मुख्तियार सिंह, परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रो. सत्य प्रकाश जरावता, प्रो. फकीर सिंह, प्रो. सुरेश कुमार, डॉ. जरनैल सिंह, शमशेर सिंह, प्रो. जयपाल सिरोहा, नरेश मुंडे ने भी समाज की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना एक बहुत बड़ी साजिश है। हमें इस साजिश को बेनकाब करने के लिए आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश के अंदर दलितों के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वह बेहद ही निंदनीय है। हमें इसका मुकाबला करने के लिए एक बैनर के नीचे इकट्ठा होना होगा। इस मौके पर जसवंत राय, प्रवीण प्रेमी, विजय पूनिया आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कुरुक्षेत्र में आयोजित दलित चिन्तन विमर्श संगोष्ठी में डॉ. उदित राज एवं सत्य प्रकाश जरावता का स्वागत करते हुए कुरुक्षेत्र परिसंघ के नेतागण

रैली की सफलता हेतु तैयारी सम्मेलन 9 अक्टूबर को मावलंकर हाल, दिल्ली में

अगर 28 नवंबर की रैली को अति सफल बनाना है तो उसके पहले प्रमुख साथियो की बैठक होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगामी 9 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में तैयारी बैठक रखी गयी है। इस सम्मेलन में सभी साथी न आएं तो भी चलेगा लेकिन जो जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको इस तैयारी बैठक में आना ही है। उन्हें भी आना है जो परिसंघ के आम कार्यकर्त्ता हैं। जो गत् 30 व 31 जुलाई को नहीं आ सके थे। बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं, उन्हें इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित करें।

खाली हाथ आकर निराश न करें। जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, जिस स्थिति में हों 9 अक्टूबर को जमा कर दें। आवश्यकता होगी तो फिर से जारी कर दिया जाएगा। बार–बार कहा जा चुका है कि फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों का नाम, मोबाइल नं. व ईमेल भेजें। जो भेज चुके हैं, वे अन्यों से भेजने के लिए कहें और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है और खुद की जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो इस जिम्मेदारी को निभाएं।

याद रखें कि आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, जिस दिन यह समझ पैदा हो गयी कि कर्मचारियों व अधिकारियों की उतनी ही जवाबदेही है, जितनी कि राजनैतिक प्रतिनिधियों की तो हमें अधिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक मानसिकता बन गयी है कि कर्मचारी–अधिकारी और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि सोचते हैं कि सांसदों, विधायकों, मंत्रियों व नेताओं से ही समाज के मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी जानी है, तो उसे तोड़ना होगा। विधायकों, सांसदों व नेताओं की जो जिम्मेदारी है, वे जानते हैं और जो जानते और समझते नहीं हैं, उनको न तो समझाया जा सकता है और न ही डंडे के जोर पर काम लिया जा सकता है। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर बौद्धिक नेतृत्व के निकम्मेपन पर भावुक हुए थे। बौद्धिक नेतृत्व मूलरूप से कर्मचारियों व अधिकारियों के पास है। हाल में जाट और पटेल आंदोलन आरक्षण के लिए हुए थे, जिसका नेतृत्व उनके समाज ने किया न कि उनके नेताओं ने। अगर वे जाति के नेताओं से उम्मीद लगाकर बैठे होते तो शायद यह आंदोलन न हो पाता।

– डॉ. उदित राज,राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजा/जजा परिसंघ

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

दैनिक हिन्दुस्तान में 13 सितंबर को प्रकाशित लेख

अजेय नौकरशाही

न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं आर्थिक व्यवस्था आदि क्षेत्रों में तमाम बदलाव आये हैं लेकिन नौकरशाही में स्थिति लगभग वैसी ही है । इसका मुख्य कारण यह है कि जिस एक विशेष सरकारी सेवा का आधिपत्य है वह किसी भी हालत में स्वरुप को बदलने नहीं देना चाहती है। सातवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में बदलाव के सुझाव दिए हैं लेकिन वह बेअसर रहा है। सातवें वित्त आयोग ने वेतन पदोन्नति और डीपूटेशन में सभी सेवाओं को बराबर अवसर देने की बात कही है, जो दो अतिरिक्त इन्क्रीमेंट आई. ए. एस. को मिलते थे उसे भी खत्म करने का सुझाव दिया। सभी सेवा में कैडर स्ट्रक्चर के द्वारा जो ठहराव और निराशा है उसे उसी विभाग के सचिव को करना है न कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ. पी.टी.) के सचिव द्वारा। जिसका सेवा काल सत्रह वर्ष पूरा हो चुका हो चाहे जिस सेवा का हो वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के डीपूटेशन के लिए उपयुक्त माना जाये। वेतन आयोग के चेयरमैन ने अपने अनुभव को रिपोर्ट में इस तरह से दिया।" समय अंतराल के साथ आई ए एस ने सारी ताक़त अपने अधीन रख ली और दूसरी सेवा के लोगों को पीछे धकेला। सभी जगह चाहे प्रशासनिक हो या तकनीकी पर खुद आई. ए. एस. बैठ गए हैं और यही दूसरी सेवा के अधिकारियों की समस्या का कारण है। अब समय आ गया है कि विशेषज्ञ को महत्त्व दिया जाए जो न कि सामान्य ज्ञान वाले। यदि सबको समान व बराबर अवसर नहीं दिया तो आई. ए. एस. और अन्य सेवा के अधिकारियों के बीच दूरी बढ़ेगी और उससे एक अराजकता की स्थिति का जन्म होगा जो देश की शासन व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा।''

अभी तक जो व्यवस्था रही है वेतन आयोग के आने के बाद, उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए एक समिति बनती थी जिसे इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज कहा जाता है। वेतन आयोग की सिफारिशों को अध्ययन करने के लिए ऐसी ही एक समिति तेरह लोगों से बनी है जिसमें आठ कार्यरत या सेवा निवृत्त आई. ए. एस. हैं, एक वैज्ञानिक और चार अन्य सेवा के। इससे अन्य सेवाओं के लोगों के साथ भेदभाव अस्पष्ट हो जाता है। वेतन आयोग ने सिफारिश की कि कैडर री-स्ट्रक्चरिंग प्रत्येक विभाग के सचिव के द्वारा किया जायेगा न कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ. पी.टी.)। आयोग ने ऐसी सिफारिश इसलिए दी थी कि डी.ओ.पी.टी. जिसे प्रत्येक पांच वर्ष पर कैडर का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा था जिससे दूसरी सेवा के अधिकारियों की हालत खराब होती जा रही है। इसके बावजूद भी इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की कमिटी ने अन्याय कर ही दिया और फिर से डी.ओ.पी.टी. को ही यह अधिकार मिल गया।

यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा कि दूसरे क्षेत्र में तमाम सारे बदलाव हुए हैं लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) में कोई बदलाव नहीं हुआ। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न की जा सकें उसके लिए इस बार चतुराई से एक टास्क फोर्स बनाने के लिए 22 अगस्त 2016 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जिससे फिर से दूसरी सेवाओं के मामले उसी व्यूह में बस गया। इस ऑफिस मेमोरेंडम के दौरान फिर से डी.ओ.पी.टी. सेक्रेटरी को अधिकार दे दिए कि वही अन्य सेवाओं का पुनर्रक्षण करेगा । एक टास्क फोर्स श्री टी.जैकोब अतिरिक्त सचिव- डी.ओ.पी.टी. के नेतृत्व में बनाया जो एच.ए.जी. श्रेणी के हैं। हास्यास्पद बात यह है कि अपने स्तर के ही नहीं बल्कि ऊपर स्तर के अधिकारियों की सेवाओं के बारे में फैसला करेंगे। टास्क फोर्स का मकसद था कि यह विस्तृत कैडर स्ट्रक्चर का अध्यन करेगा लेकिन बड़ी चतुराई से ऑल इंडिया सर्विस जैसे - आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस.को अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया और 34 ग्रुप ए सर्विस के कैडर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन होगा। इस ऑफिस मेमोरेंडम का मकसद एक विस्तृत अध्ययन करे कि ग्रुप ''ए'' सर्विसेज की सेवाओं का अध्ययन करके और जो अनियमितताएं और फांसले हैं उसका समाधान करे। आई.ए.एस. में सबसे कम ठहराव है अगर उसे भी जांच पड़ताल के दायरे में रखते तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेज दूसरी सेवाओं में लागू होती लेकिन ऐसा नहीं किया। यह भी हास्यास्पद है कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कहा गया कि वह 15 दिन में सुझाव दे जबसे ऑफिस मेमोरेंडम अर्थात 22 अगस्त 1916 से । 6 दिन ऑफिस मेमोरेंडम जारी करने में देरी लगी । दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम 1 सितम्बर 2016 के सुझाव 6 सितम्बर तक मिल जाने चाहिए जो केवल 5 दिन बनते हैं और उसमें से दो दिन छुट्टी का निकल जाता है। क्या यह संभव है कि तीन दिन में विभाग अपनी सेवाओं से संबंधित समस्यायों का निराकरण सुझाव 3 दिन में दे सके। जब टास्क फोर्स को 3 महीने मिले हैं तब क्यों नहीं विभिन्न सेवाओं के कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज और सर्विसेज संगठनों को उतने ही दिन सुझाव समय दिया जाता है ।

राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो चुका है यूपीए ने तो एक अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया चूँकि देश और विदेश के स्तर पर नई आर्थिक चुनौतियाँ खड़ी हो गयी है जबकि ऐसी आवश्यकता नहीं थी। एक राजनीतिक को विशेषग्य होना जरुरी नहीं है लेकिन सामान्य ज्ञान वाला हो फिर भी प्रोफेसनिलिज्म आता जा रहा है। सरकारी सेवाओं में तो प्रोफेशनलिज्म आना ही चाहिए। 31 दिसम्बर 2015 को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सेवाओं के 1995 बैच तक के सभी अधिकारीयों को ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए इम्पैलेंमेंट हो जाए तभी 1998 बैच का आई.ए.एस. हो तो प्रधानमंत्री के निर्देश के बावजूद आई.ए.एस. ने 1998-99 बैच का इम्पैनल कर ही दिया है । मेरा कोई आई.ए.एस. से पूर्वाग्रह नहीं है लेकिन सभी सेवाओं से बेहतरीन अधिकारियों को अपनी सेवा देने का मौका देना चाहिए ।

एक समय था जब आई.ए.एस. को अतिरिक्त पेपर देना पड़ता था लेकिन अब वह खत्म हो चुका है और जो भी इस समय सिविल सर्विसेज से चुनकर आ रहे हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता एक जैसी है। परीक्षा की प्रतिस्पर्धा में थोड़े बहुत अंक में उतार चढ़ाव होता रहता है और इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी सेवा के लोग योग्य नहीं हैं। जो लोग यू.पी. एस.सी. पास कर चुके हैं अगर उन्हें दोबारा फिर से परीक्षा में बैठाया जाए तो न केवल मेरिट के क्रम में उथल पुथल हो जायेगा बल्कि कई दोबारा पास ही नहीं हो पाएंगें। जब राजनीति एवं सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आता जा रहा है तो हमारी नौकरशाही में क्यों नहीं ?

- डॉ. उदित राज

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

28 नवंबर की रैली के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु परिसंघ का ऐप डाउनलोड करें

गत् 30-31 जुलाई को मावलंकर हॉल दिल्ली में आयोजित अनसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के सम्मेलन में तय किया गया था कि आंदोलन की गतिविधियां पूरे देश में प्रचारित करने हेतु सोसल मीडिया का प्रयोग सभी अनिवार्य रूप से करेगें और परिसंघ का ऐप भी डाउनलोड करके इसे इस्तेमाल करेगें लेकिन सोसल मीडिया का उपयोग बहुत ही कम लोगों ने शुरू किया है। परिसंघ का ऐप भी बार-बार एस.एम.एस. द्वारा सूचित करने के बाद भी अभी तक लगभग 500 लोगों ने ही डाउनलोड किया है। सभी साथियों से अपील है कि रैली से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और गतिविधियों को तेज करने में सोसल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करें और परिसंघ का ऐप https://goo.gl/qNfYK9 लिंक से डाउनलोड करें या डाउनलोड लिंक प्राप्त करने के लिए 011-66978003 पर मिसकाल करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो कार्यालय में सुमित - 9868978306 से सम्पर्क करें।

- डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष

भगवानों को घूस देना भ्रष्टाचार की असली जड़

डिस्क्लेमरः भ्रष्टाचार से हम सब त्रस्त हैं। लेकिन क्या विदेशी भी हमारे देश में भ्रष्टाचार के चलन को उसी रूप में देखते हैं? कम से कम यह लेख तो ऐसा नहीं बताता। सोशल मीडिया पर चर्चित न्यू जीलैंड के एक सज्जन ब्रायन का लिखा यह लेख हम बहस के मकसद से छाप रहे हैं। पाठकों से इस पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं।

भ्रष्टाचार भारत में एक सांस्कृतिक मसला है। भारतीयों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। वे भ्रष्टों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, उन्हें सहन करते रहते हैं। भारतीय भ्रष्ट क्यों हैं, इसे समझने के लिए आइए उनके आचरणों और प्रवृत्तियों पर एक नजर डालें। पहली बात, भारत में धर्म सौदेबाजी का स्वरूप लिए हुए है। भारतीय अपने देवी-देवताओं को तरह-तरह का चढ़ावा चढ़ाते हैं और बदले में उनसे खास तरह का इनाम चाहते हैं। ऐसा व्यवहार बताता है कि नाकाबिल लोग अपने लिए पक्षपात की कामना कर रहे हैं। मंदिर से बाहर की दुनिया में ऐसी सौदेबाजी को 'रिश्वत' कहते हैं।

अमीर भारतीय मंदिरों में कैश नहीं देता, वह सोने का मुकुट या ऐसे ही आभूषण वगैरा देता है। उसके उपहार गरीबों का पेट नहीं भर सकते, वे तो देवता के लिए ही होते हैं। बावजूद उसे लगता है कि अगर यह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिल गया तो बेकार चला जाएगा। जून 2009 में कर्नाटक के एक मंत्री जी जनार्दन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर को 45 करोड़ रुपए मूल्य का सोने और हीरे से बना एक मुकुट दान किया। भारत के मंदिरों में इतना धन इकट्ठा होता है कि वे समझ ही नहीं पाते, इसका क्या करें। मंदिरों के तहखानों में अरबों की संपत्ति पड़ी-पड़ी जंग खा रही है। यूरोपीय भारत आए तो उन्होंने स्कूल बनवाए, लेकिन भारतीय यूरोप-अमेरिका जाते हैं तो वे मंदिर बनवाते हैं।

भारतीयों को लगता है कि जब भगवान भी कुछ भला करने के लिए चढ़ावा स्वीकार करते हैं तो हमारे ऐसा करने में क्या हर्ज है। यही वजह है कि भारतीय इतनी आसानी से भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति ऐसे आचरण के लिए गुंजाइश बनाती है। इसमें नैतिक तौर पर कलंक जैसी कोई बात नहीं होती। पूर्णतया भ्रष्ट जयललिता इसीलिए सत्ता में वापस लौट आती हैं। पश्चिम में आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते।

भ्रष्टाचार को लेकर भारत की नैतिक अस्पष्टता इसके इतिहास में भी झलकती है। इसका इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा है जिनमें शहरों और राज्यों के पहरेदारों ने पैसे खाकर हमलावरों के लिए गेट खोल दिए और सेनापतियों ने रिश्वत लेकर समर्पण कर दिया। भारतीयों के भ्रष्ट चरित्र की वजह से इस महादेश में युद्ध काफी कम हुए।

प्राचीन यूनान और आधुनिक यूरोप के मुकाबले भारतीयों ने काफी कम लड़ाइयां लड़ी हैं। नादिरशाह को तुर्की में भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी, मगर भारत में लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेनाओं को विदा करने के लिए यहां रिश्वत ही काफी थी। पैसे खर्च करने को तैयार कोई भी हमलावर भारत के राजाओं को सत्ता से बेदखल कर सकता था, भले उनके पास दसियों हजार की फौज क्यों न हो। पलासी की लड़ाई में भी भारतीयों की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। क्लाइव ने मीर जाफर की मुट्ठी गर्म कर दी और पूरा बंगाल 3000 लोगों के सामने बिछ गया।

सवाल उठता है कि भारत में ऐसी सौदेबाजी की संस्कृति क्यों है, जबकि अन्य सभ्य देशों में यह नहीं है? भारतीयों का इस मान्यता में यकीन नहीं है कि अगर सभी लोग नैतिक आचरण करें तो सबकी उन्नति होगी। उनकी जाति व्यवस्था उन्हें एक-दूसरे से अलग करती है। वे नहीं मानते कि सभी मनुष्य समान हैं। इसकी परिणति उनके विभाजन और अन्य धर्मों की ओर पलायन में हुई। कई हिंदुओं ने सिख, जैन, बौद्ध आदि के रूप में अपने अलग धर्म बना लिए और बहुत सारे ईसाइयत तथा इस्लाम की ओर चले गए। इस सबका नतीजा यह हुआ कि भारतीयों का एक-दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। भारतीय तो यहां कोई रहा ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जितने चाहो ढूंढ लो। भारतीय भूल गए कि 1400 साल पहले वे सब एक ही पंथ के थे। यह विभाजन एक बीमार संस्कृति के रूप में सामने आया। असमानता ने भ्रष्ट समाज को जन्म दिया। नतीजा यह है कि भारत में हर कोई हर किसी के खिलाफ है, सिवाय भगवान के, और वह भी रिश्वतखोर है!

http://blogs.navbharattimes.indiatimes.com/nbteditpage/even-gods-are-corrupt-in-india/

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

19वीं महा रैली

28 नवंबर, 2016
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

डॉ. उदित राज
पूर्व आईआरएस.
राष्ट्रीय अध्यक्ष

साथियो,

हम दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों की समस्या केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। सरकार किसी की हो समस्याएं कम और ज्यादा के रूप में रहेगीं ही। जहां दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां भी अत्याचार होते थे। 1997 में जब सामाजिक न्याय की सरकार केन्द्र में थी तो पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे। बाबा साहब ने कहा था कि राजनैतिक जनतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक जनतंत्र कायम होगा और इसके लिए सामाजिक परिवर्तन – जैसे बौद्ध धम्म की दीक्षा, पाखंड का त्याग, जातिविहीन समाज, कम से कम दलितों में जात-पांत का खात्मा आदि। इससे यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि हर हाल में हजारों वर्षों की असमानता और शोषण से हम सभी को स्वयं तो लगातार लड़ना ही होगा, सरकार चाहे जिसकी हो। मां-बाप ने जन्म दिया लेकिन आरक्षण बाबा साहब के प्रयास से मिला। आरक्षण केवल अपने उपभोग के लिए ही नहीं है, बल्कि संघर्ष करने के लिए। इसलिए चाहे मंत्री हों या सांसद या प्रधान या अधिकारी-कर्मचारी सभी समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिनिधि हैं। झज्जर (हरियाणा) में गाय की खाल की खातिर 5 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया और हाल में उना (गुजरात) में क्या हुआ, हम सभी जानते हैं। अभी भी हमें कुछ लोग जानवरों से बदतर समझते हैं।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदशों की वापिसी के लिए हुआ और उसके बाद धरना-प्रदर्शन व आंदोलन शुरु हुआ। 11 दिसंबर, 2000 को रामलीला मैदान, दिल्ली की रैली आज़ाद भारत की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी और सरकार पर दबाव बना जिसकी वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुए और छिने अधिकार वापिस मिले। 4 नवंबर, 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाई। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संघर्ष की शुरुआत हमने ही की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट में नागराज के नाम से मशहूर मुकदमा जो 85वें संवैधानिक संशोधन से संबंधित था, की पैरवी हमने ही की और जीते। पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के खिलाफ सवर्णों के आंदोलन का भरपूर विरोध किया और इस अधिकार को लेकर रहे। अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण जो लोकपाल बिल बन रहा था हमने बहुजन लोकपाल बिल पेश करके उसमें आरक्षण कराया। वरना दलितों व पिछड़ों को जातीय आधार पर फर्जी मामले में फंसाने का यह सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनता। 2008 में तत्कालीन उ0प्र0 की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती द्वारा आदेश जारी किया गया कि अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत 22 अपराधों में से सिर्फ बलात्कार एवं हत्या के मामले ही दर्ज किए जाएंगें, शेष मामलों में यह एक्ट नहीं लगेगा। तब हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके इसे दुरुस्त कराया। इस अधिनियम में दिसंबर 2015 में संसद में संशोधन हुआ और अब 123 प्रकार के अपराध इसमें शामिल हैं।

पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक संसद से पास होना है। आशा थी कि अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसे कराने के लिए महासंघर्ष करना पड़ेगा। जब से डॉ. उदित राज सांसद बने हैं, कोई अवसर नहीं छोड़ा, सवाल उठाने का और शायद ही कोई और सांसद इतना किया होगा (इसे बेबसाइट www.uditraj.com/gallery/video vkSj www.youtube.com/user/druditraj पर देखा जा सकता है)। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संसद में डॉ0 उदित राज ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रतिस्थापित किया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या सवर्णों को चाहिए? डॉ. उदित राज ने अपना काम कर दिया है, समाज क्यों सो रहा है? क्यों नहीं लाखों-करोड़ों सड़क पर उतरते और सभी दलों पर दबाव डलवाकर संवैधानिक संशोधन कराकर निजी क्षेत्र में आरक्षण का अधिकार लें। आउट सोर्सिंग, ठेकेदारी और एडहाक नियुक्ति के जरिए आरक्षण लगभग आधा खत्म किया जा चुका है। इसके खिलाफ तो संघर्ष करना ही है लेकिन बिना निजी क्षेत्र में आरक्षण लिए गुजारा नहीं होगा। खाली पदों पर भर्ती, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, एक राज्य के जाति प्रमाण-पत्र की सभी राज्यों में मान्यता, समान शिक्षा, सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि मांगों को लेकर 28 नवंबर, 2016 (सोमवार) को प्रातः 11 बजे भारी संख्या में विशाल रैली में शामिल होकर ऐसा कर दिखाएं कि यह अधिकार मिलकर रहे।

निवेदक

ब्रह्म प्रकाश, परमेन्द्र, विनोद कुमार, रवीन्द्र सिंह, एन.डी. राम, रामनंदन राम (दिल्ली), जगजीवन प्रसाद, धर्म सिंह, केदारनाथ, सुशील कुमार, नीरज चक, निर्देश कुमारी (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, सिद्धार्थ कांबले, सूर्यकांत किवांडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, डॉ. मुख्तियार सिंह, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह, दर्शन सिंह चंदेढ़, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, रंजीत मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), हरिश्चंद आर्या (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र कुमार (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, एन.जे. परमार, नवल सोलंकी (गुजरात), एस. करुपइया, पी.एन. पेरुमल (तमिलनाडु), के. कृष्णन कुट्टी, बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर, जे. बी. राजू (तेलंगाना), डॉ. श्याम प्रसाद (आंध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छ.ग.), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर, विश्वजीत साह (प. बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, एल.एम. ओरांव (झारखंड), आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेन्द्र, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, चन्नप्पा (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर (असम).

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1
Tel: 011-23354841-42, 09013869549 Telefax: 011-23354843

डॉ. उदित राज, चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा हाल ही में दिए गए अपने बयान में कई देशों का उदाहरण दिया गया, जहाँ पर खेल के क्षेत्र में भी लंबे समय से वंचित एवं उत्पीड़ित लोगों को आरक्षण दिया गया है, और उनका प्रदर्शन भी अपेक्षाकृत अच्छा रहा। अफ्रीका का यह ताजा उदाहरण आपके सामने है। भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए।

साउथ अफ्रीका की टीम में आरक्षण लागू, टीम में नहीं होंगे पांच से ज्यादा गोरे

जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (सीएसए) ने जोहांसबर्ग में क्रिकेट में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम में आरक्षण लागू कर दिया गया है। यहां हुई साला जनरल मीटिंग में घोषणा की गई है कि भविष्य में होने वाली दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की सभी सीरीज के लिए कम से कम छह काले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा।

टीम में गोरे खिलाड़ियों का प्रभुत्व कायम न होने के लक्ष्य के तहत साउथ अफ्रीकी नेशनल क्रिकेट टीम ने ये कदम उस उठाया है। नए नियम के तहत कम से कम 54 फीसदी काले खिलाड़ी और 18 फीसदी काले अफ्रीकी खिलाड़ी नेशनल टीम के लिए आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी प्रतियोगिताओं में खेलेंगे।

नेशनल टीम के लिए पहली बार आरक्षण

आपको बता दें कि प्रांतीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीगों के लिए आरक्षण का यह नियम पिछले तीन वर्षों से है लेकिन पहली बार इसे नेशनल टीम के लिए भी अपनाया गया है। 11 सदस्यों की नेशनल टीम में औसतन अधिकतम पांच गोरे खिलाड़ी होंगे और कम से कम छह काले खिलाड़ी शामिल होंगे।

साउथ अफ्रीका ने क्यों उठाया ये कदम?

यह कदम खेल मंत्री फिकिले बालुला द्वारा तीन महीने पहले उस घोषणा के बाद किया गया है जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि रग्बी, क्रिकेट, नेटब०ल और एथलेटिक्स जैसे खेल तब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे कोटा सिस्टम लागू नहीं करते हैं।

आईसीसी ने लगाया था बैन

टीम में खिलाड़ियों के चुनाव में रंगभेद का विवाद साउथ अफ्रीकी टीम में हमेशा से रहा है और टीम में सिर्फ गोरे खिलाड़ियों के चुने जाने के कारण आईसीसी ने 1970 में साउथ अफ्रीका पर इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बैन लगा दिया था।

भारत में सचिन-कांबली विवाद

गौरतलब है कि भारत में भी खेल में आरक्षण को लेकर समय समय पर मांग उठती रही है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली को लेकर भी काफी विवाद हुआ है। सचिन को बार बार मौके मिलते रहे जबकि कांबली को भेदभाव के कारण बेहतर ट्रैक रिक०र्ड के बावजूद भी मौके नहीं मिल पाए। इसी प्रकार रियो ओलंपिक में भारत की ओर से बेहतर परफोर्मेंस न करने पर खेल में आरक्षण की मांग जोर पकड़ती रही।

अर्जुन तेंदुलकर-प्रणव धनावड़े मामला

इसी प्रकार भारत में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर व रिक्शाचालक प्रणव धनवड़े का मामला भी सुर्खियों में रहा। यहां भी योग्यता विरासत के आगे बौनी साबित हुई। क्योंकि मुंबई अंडर 16 टीम में 1009 रन बनाने वाले रिक्शाचालक के बेटे को टीम में जगह नहीं दी गई बल्कि इसकी जगह सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को जगह दी गई थी जिसपर देशभर में बहस छिड़ गई थी।

क्या भारत में भी उठेंगी ऐसी मांग?

भारत में जातिवाद हमेशा से ही हावी रहा है इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब रियो ओलंपिक में पीवी सिंधू गोल्ड मेडल व देश के लिए खेल रही थी और भारत के लाखों लोग उनकी जाति ढूंढ रहे थे। तो ऐसे में अब देखना यह होगा दक्षिण अफ्रीका के इस बड़े फैसले के बाद क्या भारत से भी खेलों में आरक्षण को लेकर मांगे उठेंगी।

आगामी रैली से संबंधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

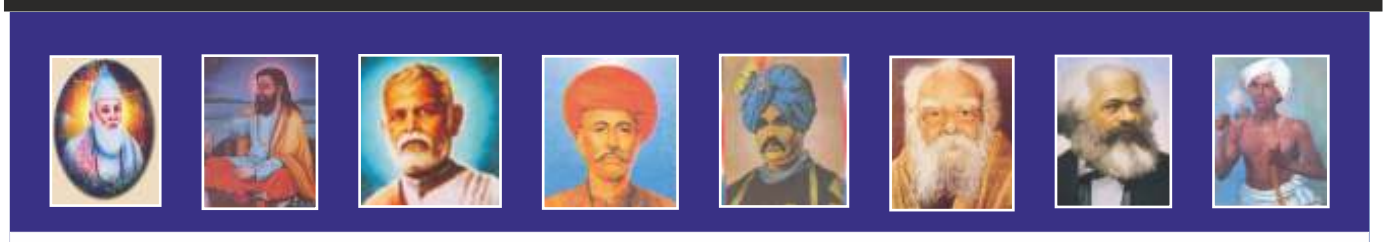

Dr. Udit Raj writes to PM for appointment of SC/STs as Judges

Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations wrote to the Prime Minister on 24th May 2016 seeking appointment of SCs, STs, minorities and women as Judges of the Supreme Court and High Courts by amending Articles 124 and 217 of the Constitution. Dr. Udit Raj quoted the report dated 31st March 2002 of the National Commission to Review the Working of the Constitution setup under the Chairmanship of Chief Justice (Retd.) Shri M N Venkatchaliah had inter alia pointed out that in the SP Gupta's case and the Supreme Court Advocates on Record case, the Supreme Court had upheld the Constitutional validity of the circular letter addressed by the Government of India requesting the State Governments and the High Courts to recommend the names of competent candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women and Other Backward Classes as judges of the Supreme Court and High Courts. These observations had also been upheld by the Parliamentary Committee on SCs and STs chaired by Shri Karia Munda, MP in its report dated 15th March 2000 as well as the Parliamentary Committee chaired by Dr. E M Natchiappan, MP on the Judges (Inquiry) Bill, 2006 in its report presented to the Rajya Sabha on 17th August 2007. Hence, the Government should immediately amend Articles 124 and 217 of the Constitution to ensure representation of SCs, STs, minorities and women as judges of the Supreme Court and High Courts.

Reply by Shri P.P. Chaudhary, Minister of State for Law & Justice

A reply was received from the Ministry of Law and Justice, Government of India on 9 August 2016 stating that, "there is no proposal to amend Articles 124 and 217 of the Constitution and at present, there is no provision of reservation for SCs, STs, minorities and women for appointment to the higher judiciary. The Government has, however, been requesting the chief Justices of the High Courts that while sending proposals for appointment of judges to take into consideration suitable candidates belonging to scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and Women."

The representation of backwards, minorities and women in the judiciary, and especially the higher judiciary, is almost negligible. Most of the people who are awarded capital punishment are either SC/STs or Muslims. India is the only country in the world where judges themselves appoint judges, by arrogating to themselves the power of Parliament. There was a hope when the National Judicial Appointments Commission Bill was passed by Parliament that women, dalits and backwards would find a place in the judiciary – at present there is not a single Dalit judge in the Supreme Court; but even this was struck down by the Supreme Court.

Action

In reply by the Ministry is highly frustrating and it seems that in near future the SC/ST/OBC are not going to be represented in higher judiciary. Once the huge backlog about 400 Judges is going to be filled, which is likely to happen then for 15 or 20 years, the vacancies will not arise. Except Dr. Udit Raj and leaders of Confederation and others do not seem to be serious. In the rally to be held on 28th Nov., reservation in higher judiciary will be our focused demand. All of you should urge the govt through letters, social media and people representatives that the SC/ST and OBC should be given due representation in on going appointments.

Sample of the Poster for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it print on behalf of State and District Units and distribute.

शैक्षणिक पद : एक और जातिवादी दुर्ग!

ये भयावह आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी की कुल मिलाकर प्रोफेसर पद पर हिस्सेदारी महज़ डेढ़ फीसदी है। रीडर, सीनियर लेक्चरर, लेक्चरर व अन्य सभी प्रकार के अध्यापन से जुड़े पदों पर मिलाकर इनकी संख्या 12.2 फीसदी है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखें। प्रोफेसर पद पर स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां की गईं हैं। क्यों? दरअसल, यूनिवर्सिटियों में सिर्फ लैक्चरर पद पर ही शोषित तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसलिए प्रोफेसर के पद पर द्विज उमीदवारों की नियुक्ति कर दी जाती है। प्रोफेसर, रीडर और सीनियर लैक्चरर के पदों पर भी आरक्षण नहीं है। सीनियर लैक्चरर (एसएल) के पद पर शोषित तबकों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या (महज़ 9 फीसदी) संभवतः लैक्चरर पद से पदोन्नत हुए लोगों के करण है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या व एससी, ओबीसी कोटा के तहत भरे गए पद

	प्रोफ़ेसर	रीडर	एसएल/एसजी	लेक्चरर	अन्य	कुल
स्वीकृत पद	1943	3744	...	7078	749	13 514
कार्यरत शिक्षक	2563	2931	451	2327	580	8852
एससी	25	79	30	422	12	568
एसटी	11	29	10	211	7	268
ओबीसी	4	4	1	233	3	245
पीएच	6	7	0	30	2	45
सवर्ण	2523	2819	410	1461	558	7771
SC/ST/OBC	40	112	41	866	22	1081
SC/ST/OBC %	1.5%	3.8%	9%	3.7%	3.7%	12.2%

(आरटीआई संख्या–6–4/2009, सेंट्रल यूनिवर्सिटिस, यूसीजी, दिनांक–7 जनवरी 2011)

आइआइटी (कानपुर) शैक्षणिक पदों पर आरक्षण

शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद		**406**
शिक्षक कार्यरत		348
कुल एससी शिक्षक		02
कुल एसटी शिक्षक		00
कुल ओबीसी शिक्षक		00
कुल सवर्ण शिक्षक	346	
एससी–एसटी–ओबीसी का प्रतिशत		0.5%

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मास कश्युनिकेशन, दिल्ली

	प्रोफ़ेसर	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	असिस्टेंट प्रोफ़ेसर
कुल	6	6	1
एससी	0	0	0
एसटी	0	0	1
ओबीसी	0	0	0
सवर्ण	6	6	0

(आरटीआई नं.– स्था.–/पीआईओ/69–2011/आइआइटीके 269, 29, जनवरी, 2011)

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू)

	प्रोफ़ेसर	रीडर	लेक्चरर	कुल
स्वीकृत पद	347	680	1368	2395
कार्यरत शिक्षक	635	555	300	1490
एससी	0	0	83	83
एसटी	0	0	21	21
ओबीसी	0	0	0	0
सवर्ण	635	555	196	1386
SC/ST/OBC	0	0	104	104
SC/ST/OBC%	0%	0%	34%	6.9%

दिल्ली विश्वविद्यालय

	प्रोफ़ेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य	कुल
स्वीकृत पद	307	654	691	50	1702
कार्यरत शिक्षक	124	296	349	23	792
एससी	0	0	43	0	43
एसटी	0	0	15	0	15
ओबीसी	0	0	10	0	10
पीएच	1	1	7	0	9
सवर्ण	124	296	271	23	724
एससी–एसटी–ओबीसी	0	0	68	0	68
SC/ST/OBC का प्रतिशत	0%	0%	19%	0%	8%

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू)

	प्रोफ़ेसर	रीडर	लेक्चरर	एसएल/एसजी	अन्य	कुल
स्वीकृत पद	165	287	271	...	5	728
कार्यरत शिक्षक	223	195	67	...	5	490
एससी	6	8	13	4	0	31
एसटी	3	4	7	0	0	14
ओबीसी	2	0	0	0	0	2
सवर्ण	212	183	47	0	5	343
SC/ST/OBC	11	12	20	4	0	47
SC/ST/OBC	4.9%	6.1%	20%	100%	0%	9.5%

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साईस (यूसीएमएस), दिल्ली

	प्रोफ़ेसर	रीडर	लेक्चरर	अन्य	कुल
स्वीकृत पद	29	40	115	112	296
कार्यरत शिक्षक	64	35	52	70	221
एससी	0	1	8	5	14
एसटी	0	0	1	3	4
ओबीसी	0	0	2	5	7
सवर्ण	64	34	41	57	196
एससी–एसटी–ओबीसी	0	1	11	13	25
SC/ST/OBC का प्रतिशत	0%	2.8%	21%	18%	11%

ये आंकड़े ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट फोरम (एआइबीएसएफ) ने सूचना के अधिकार के तहत हासिल किए गए हैं।

(फारवर्ड प्रेस के सितम्बर, 2011 अंक में प्रकाशित)

https://www.forwardpress.in/2016/08/shaikshanik-pad-ek-aur-jatiwadi-durg_fp/

मिशन और चुनौतियों को देखते हुए परिसंघ के प्रत्येक राज्य और जिला इकाइयों को न केवल वार्षिक अधिवेशन करना चाहिए, बल्कि धरना-प्रदेर्शन भी। मांगों के बारे में आपको जानकारी है ही। इसलिए आग्रह है कि यदि उपरोक्त गतिविधि न कर पा रहे हों तो कम से कम डी.एम. के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन तो भेजें। ज्ञापन भेजने के बाद अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के प्रधान कार्यालय को सूचित भी करें।

– डॉ. उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

A New Zealander's view on reason for corruption in India

Indians are Hobbesian (Culture of self interest). Corruption in India is a cultural aspect. Indians seem to think nothing peculiar about corruption. It is everywhere. Indians tolerate corrupt individuals rather than correct it. No race can be congenitally corrupt. But can a race be corrupted by its culture? To know why Indians are corrupt, look at their patterns and practices.

Firstly: Religion is transactional in India. Indians give God cash and anticipate an out-of-turn reward. Such a plea acknowledges that favours are needed for the undeserving. In the world outside the temple walls, such a transaction is named "bribe". A wealthy Indian gives not cash to temples, but gold crowns and such baubles.

His gifts cannot feed the poor. His pay-off is for God. He thinks it will be wasted if it goes to a needy man. In June 2009, The Hindu published a report of Karnataka minister G. Janardhan Reddy gifting a crown of gold and diamonds worth Rs 45 crore to Tirupati. India's temples collect so much that they don't know what to do with it. Billions are gathering dust in temple vaults. When Europeans came to India they built schools. When Indians go to Europe & USA, they build temples. Indians believe that if God accepts money for his favours, then nothing is wrong in doing the same thing. This is why Indians are so easily corruptible. Indian culture accommodates such transaction. There is no real stigma. An utterly corrupt Jayalalita can make a comeback, just unthinkable in the West.

Secondly: Indian moral ambiguity towards corruption is visible in its history. Indian history tells of the capture of cities and kingdoms after guards were paid off to open the gates, and commanders paid off to surrender. This is unique to India.

Indians' corrupt nature has meant limited warfare on the subcontinent. It is striking how little Indians have actually fought compared to ancient Greece and modern Europe. The Turk's battles with Nadir Shah were vicious and fought to the finish. In India fighting wasn't needed, bribing was enough to see off armies. Any invader willing to spend cash could brush aside India's kings, no matter how many tens of thousands soldiers were in their infantry. Little resistance was given by the Indians at the "Battle" of Plassey. Clive paid off Mir Jaffar and all of Bengal folded to an army of 3,000. There was always a financial exchange to taking Indian forts. Golconda was captured in 1687 after the secret back door was left open. Mughals vanquished Marathas and Rajputs with nothing but bribes. The Raja of Srinagar gave up Dara Shikoh's son Sulaiman to Aurangzeb after receiving a bribe. There are many cases where Indians participated on a large scale in treason due to bribery. Question is: Why Indians have a transactional culture while other 'civilized' nations don't?

Thirdly: Indians do not believe in the theory that they all can rise if each of them behaves morally, because that is not the message of their faith. Their caste system separates them. They don't believe that all men are equal. This resulted in their division and migration to other religions. Many Hindus started their own faith like Sikh, Jain, Buddha and many converted to Christianity and Islam.

The result is that Indians don't trust one another. There are no Indians in India, there are Hindus, Christians, Muslims and what not. Indians forget that 1400 years ago they all belonged to one faith. This division evolved an unhealthy culture. The inequality has resulted in a corrupt society, in India everyone is thus against everyone else, except God and even he must be bribed.

BRIAN from Godzone

NEW ZEALAND

(Incidentally, New Zealand is one of the least corrupt nations in the world.)

Sample of the Handbill for the forthcoming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it print on behalf of State and District Units and distribute.

All India Confederation of SC/ST Organisations

19th Maha Rally

On

28 Nov 2016

at

Ramlila Ground, New Delhi

Dr. Udit Raj
National Chairman

Friends,

The problems faced by us, Dalits, tribals and backwards, are not just political, but due to social and economic reasons also. Whosoever may be in power, atrocities and discrimination will continue. Atrocities against us have occurred even where a Dalit was the Chief Minister. Dr. Ambedkar had said that without social democracy, political democracy will be meaningless, and for this, we must change society - through deeksha into Buddhism, abolition of superstitions, creation of a caste less society; at least, caste divisions amongst Dalits must be annihilated. Through all this, we can understand that thousands of years of inequalities and exploitation must be fought regularly, even if the Government is headed by Dalits or backwards. 5 anti-reservation orders were issued by DOPT when there was Social Justice Government at Centre. When Ku. Mayawati was the Chief Minister; we lost reservation in promotion case in Lucknow High Court. These examples make it amply clear the need to struggle on a regular basis. Our parents gave birth to us, but we got reservation only through the efforts of Dr. Ambedkar. Reservation was given not only for our own benefits, but to fight for other deprived brothers and sisters. This is why, irrespective of whether one be a Minister or a Member of Parliament or a sarpanch or an officer; they are all responsible to fight for the empowerment of society. In Jhajjar, Haryana 5 Dalits were killed for skinning the carcass of a dead cow; everyone knows the recent happenings in Una in Gujarat. Still, some people treat us as less than animals.

The All India Confederation of SC/ST Organisations was formed in 1997 to fight against 5 anti-reservation orders, and our fight began through rallies, agitations etc. The rally organised by the Confederation on 11th December 2000 at Ramlila Maidan, New Delhi was one of the largest in the history of independent India; this built pressure on the Govt., the 81st, 82nd and 85th Constitutional Amendments were passed and reservation was saved. On 4th November 2001, lacs of people took deeksha into Buddhism under the leadership of the Confederation. In 2006, we fought and won the Nagaraj case in the Supreme Court, related to the 85th Constitutional Amendment. We stood with OBC reservation in higher education in 2006. When the Anna Hazare movement pressed for a Lokpal Bill, we agitated against it and presented the Bahujan Lokpal Bill, and due to that, reservation was introduced here as well. Otherwise, the Lokpal could have become the largest platform for exploitation of SC/STs and OBCs by bringing fictitious cases of corruption.

In 2008, Ku. Mayawati, the then Chief Minister of Uttar Pradesh, passed orders that the Prevention of Atrocities Act, 1989, which included 22 atrocities, be applied only in cases of murder and rape. Then we fought against this in the Allahabad High Court by filing a Public Interest Litigation and it was restored to its original form. This Act was amended by Parliament in 2015, which included 123 atrocities. The Bill for reservation in promotion was to be passed by Parliament - it had been hoped that the Bill would be passed by now, but that has not happened. We have to start off a revolution to get this Act passed. From the time Dr. Udit Raj became a Member of Parliament, he has not left any opportunity to raise issues related to SC/STs in Parliament; it is likely that no other M.P. has raised as many issues – www.uditraj.com/gallery/video & www.youtube.com/user/druditraj

Dr. Udit Raj has introduced a private member Bill for reservation in the private sector in Parliament. Do the forward castes need reservation in private sector? Dr. Udit Raj has done his duty - why is society still sleeping? Why have lacs and crores of people not come out on the street and pressured political parties to pass a Constitutional Amendment for reservation in the private sector? More than half of reservation has already been diluted by outsourcing, contract system and ad hoc appointments. We have to continue fighting against this, but we cannot survive without reservation in private sector. To fight for our main demands of filling up of backlog vacancies, stopping outsourcing and contract system, regularization of safai karamcharis, caste certificates issued by one state being valid throughout the country, equal education etc., you must participate in the rally on 28th November 2016 at Ramlila Maidan, New Delhi at 11 AM to ensure that we get our rights.

By :

Brahm Prakash, Parmendra, Vinod Kumar, Ravindra Singh, N. D. Ram, Ramnandan Ram, (Delhi), Jagjivan Prasad, Dharam Singh, Kidarnath, Sushil Kumar, Neeraj Chak, Nirdesh Kumari (UP), Siddhartha Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, Siddhartha Kamble, Suryakant Kiwande (Maharashtra), S. P. Jarawata, Dr. Mukhtiyar Singh, Mahasingh Bhurania (Haryana), Tarsem Singh, Dharshan Singh Chanded, Rohit Sonkar (Punjab), Vishram Meena, Ranjeet Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Harishchand Arya, (U.K.), Alekh Malik, D. K. Behera (Orissa), Param Hans Prasad, Narender Kumar (M.P.), Ramubhai Vaghela, N.J. Parmar, Naval Solanki (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamilnadu), K. Krishnan Kutty, Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathor, J. B. Raju (Telangana), Dr. Shyam Prasad (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chhattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar, Vishwajit Shah (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, L. M. Oraon (Jharkhand), R. K. Kalsotra (J & K), Madan Ram, Kumar Dhirendra, Shivdhar Paswan (Bihar), J. Shriniwaslu, Channappa (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfor (Assam)

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1
Tel: 011-23354841-42, 09013869549 Telefax: 011-23354843

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 20 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 September, 2016

Inert Babudom

Judiciary, politics and economy have undergone various changes, but bureaucracy remains inert. The main reason is that a service which has been in dominant position doesn't allow change, lest it lose its hegemony. The 7th Central Pay Commission gave certain recommendations which questioned the hegemony and yet the content remained the same. The 7th CPC recommended parity in pay, promotions and deputations to all services; to do this, it was recommended doing with the disparity of giving 2 additional increments to IAS officers at each of the first 3 promotions, compared to other services, cadre structure of each service be improved and stagnation reduced by the Secretary of the concerned Department, and not the Secretary, DOPT, and all officers, irrespective of their service, be eligible for deputations to the post of Joint Secretaries, after completion of 17 years of service. It was observed by the Chairman of the CPC in his report that, "Over a period of time IAS has arrogated to itself all powers of governance and relegated all other services to secondary position. All posts covering majority of domains are today manned by IAS, be it technical or administrative which is the main cause of grievance. It is time that government take a call that subject domain should the criteria to man the posts and not a generalist. If fair and equitable treatment is not given to all Services, then the gap between IAS and other services will widen and it may lead to a chaotic situation and it will not be good for the governance and country."

As per practice, every CPC report is studied by an implementation committee, also known as an Empowered Group of Secretaries. For studying the recommendations of the 7th CPC, an implementation committee of 13 members was formed, of which 8 were serving IAS officers, 1 scientist and 4 members of services other than the IAS. It was observed by the CPC that, "the examination of the Cadre Restructuring proposal should be undertaken at the Department level itself." The report also stated that, "This Commission is of the view that the cadre review should be the responsibility of the concerned Secretary of the Department to which the cadre belongs and not the responsibility of Secretary, DOPT." These observations were made by the CPC since the DOPT has failed in its mandate of carrying out cadre reviews of services every 5 years, due to which the plight of members of those services was even worse; however, this recommendation was completely ignored by the Empowered Group of Secretaries.

It is not an exaggeration to say that other things change, but hegemony of Administrative Services remains whatsoever it may be. To dilute the CPC recommendations a clever device was schematized in making of a task force by the DOPT vide its OM dated 22nd August 2016 so that it all again falls in the clutch of one service. The OM defeats the purpose of CPC and again authorized the Secretary, DOPT to conduct cadre review of all other services. A task force was created under the Chairmanship of Shri T Jacob, Additional Secretary, DOPT; it is ironic that an officer of the HAG level in the IAS is asked to decide number of officers at HAG+ and Apex levels in other services. The Task Force was supposed to conduct a comprehensive study on the cadre structure of all organized Central Government services, but through a clever process of exclusion, the All India Services, viz IAS, IPS and IFoS were excluded, and only 34 Group 'A' services were deemed to be eligible for a review of cadre structure by the Task Force. The OM for setting up of the Task Force is by itself contradictory, as its Terms of Reference are to undertake a comprehensive study of all organized Group 'A' services and to suggest a way forward to mitigate the stagnation level in these services. Why then is the cadre structure of the IAS not examined – it is a fact that stagnation is the least in the IAS, and best practices in the IAS should be replicated in other services. It is another irony that Cadre Controlling authorities are asked to submit their recommendations within 15 days of the issue of the OM on 22nd August 2016, whereas there is a delay of 6 days in issue of the OM from the decision of the Appointment Committee of Cabinet given on 16th August 2016. Also, another OM was issued on 1st September 2016 asking for service associations to submit their recommendations for cadre review by 6th September – a total of 5 days was given to the service associations for this, out of which, a minimum of 2 days were holidays. When the Task Force has been given 3 months for coming up with recommendations, why should cadre controlling authorities and service associations are not allowed to remain in the loop for the duration of the sittings of the Task Force?

The IAS officers lobby has used till now a multitude of underhand methods to delay promotions and opportunities in deputations to members of other services, thereby denigrating them to the role of second class citizens. For example, in the DOPT, 9 of the top officers belong to the IAS – including the Secretary, 2 Additional Secretaries and 6 Joint Secretaries; one Additional Secretary, who is also designated as the ex – officio Secretary of the Appointments Committee of Cabinet, is also an IAS officer. Other services are denied any say at the policy level in the DOPT, due to which the last empanelment of IRS officers at the Secretary level was for the 1978 batch, while empanelment has been completed for IAS officers up to the 1983 batch, leading to a gap of 5 years. The situation is even worse in case of empanelment to Joint Secretary posts where for IAS officers of 1999 batch have been empanelled as Joint Secretaries, while for Forest Service, empanelment has been completed till 1990 batch, for IPS till 1994, IRS till 1990, Postal Service till 1993 and for Audit and Accounts till 1994 batches.

Politics and politicians have undergone many changes with the times, however our bureaucracy has not kept in tune with the times. The UPA chose an economist to be the Prime Minister, and one of the reasons was to meet address domestic and international economic challenges. The politics is managed by generalists and yet, in some respects, professionalism is prevailing and to meet to the current challenges, Government services have to be more technical and professional. Our Prime Minister understands this and that is why he had asked that by 31st December 2015, officers of all services up to 1995 batches should be empanelled for Joint Secretary, and meanwhile, empanelment of IAS officers which had been completed for 1997 batch was stopped and the file for empanelment of IAS 98 batch was returned back by the PMO. However, officers of only 1 service (IDAS) of 1995 batch were empanelled as Joint Secretaries on 29th February 2016 , and in clear violation of instructions from the Prime Minister, IAS officers of the 1998 and 1999 batch were empanelled as Joint Secretaries, while other services continued to be ignored. I don't have any reservation about any particular service but now the times have changed, so the best of all fields should be allowed to blossom and deliver. There was a time when IAS had to clear more papers in the entrance examination but that practice no longer exists. Moreover, all those who compete for any services are of the same mettle and it is a matter of chance that some secure little higher marks. When other major institutions like politics, judiciary and economy are professionally driven, and then why not Government jobs where it is needed more.

Dr. Udit Raj

Preparation meeting for success of rally on 9 Oct at Mavlankar Hall, Delhi

It is necessary to hold a meeting of main leaders and workers of the Confederation for the success of the rally to be held on 28th November 2016. Keeping this in mind, a meeting has been organized on 9th October 2016 Mavlankar Hall, Constitution Club, New Delhi to prepare for the rally. It is not necessary for every to attend the meeting; however, district and state level office bearers of the Confederation must attend. Workers of the Confederation should also attend the meeting, especially those who could not attend the Convention of the Confederation held on 30th and 31st July 2016. Many new people have joined the Confederation; they will also get a chance to attend the meeting. Hence, they are specially invited.

Please do not disappoint us by attending the meeting empty handed. Those who have been issued membership books should submit the books on 9th October, even if they have not been completed. If necessary, fresh books can also be issued. Everyone has already been requested to join us on Facebook, Twitter, Whatsapp and other social media, and also to share names and mobile numbers of activists through email. Those who have already done this should ask others to do the same, and those who have not done anything, should consider it their responsibility to share names and mobile numbers, and join us on social media.

We should remember that no one else will fight for our rights; the day people understand that employees and officers have the same responsibility as politicians, and then no one will be able to stop us from getting our rights. A feeling has been created amongst employees and officers that only Ministers, MPs, MLAs and politicians should fight for our rights, which should be dispelled. Politicians, MPs and MLAs know what their responsibility is and those who do not know cannot be taught this nor can we get much by force. Dr. Ambedkar was saddened by the failure of Dalit intellectuals. Dalit intellectualism is mostly in the hands of employees. The recent Patel and Jat agitations for reservation were led by the people themselves, not by politicians or leaders. If they sat at home expecting something from the leaders, then perhaps these agitations would not have even taken place.

Dr. Udit Raj, National Chairman, SC/ST Confederation

www.facebook.com/parisangh.all.india
9717046047
@Parisangh1997
parisangh1997@gmail.com

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya